फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी :— श्रीमती हगामी बाई | विपक्षी :— देवीलाल वगैरह

किस्म मुकदमा :— प्रार्थना पत्र | प्रकरण संख्या :— 79/22 | सन् : 2022

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	दिनांक : 04.03.2025 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता नरेश जणवा उपस्थित। प्रकरण लम्बे समय से विपक्षीगण की तामील में नियत है। प्रार्थी अधिवक्ता को सम्मन प्रोसेस पेश करने हेतु दिनांक 30.09.2024, दिनांक 26.11.2024 एवं 12.02.2025 को अन्तिम अवसर दिए गए बावजूद विपक्षीगण तामील हेतु सम्मन प्रोसेस पेश नहीं किए गए तथा नहीं आज भी न्यायालय समय समाप्ति तक सम्मन प्रोसेस पेश नहीं किए गए है। जिससे जाहिर है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा अपने प्रार्थना पत्र को आगे चलाना नहीं चाहकर प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही कराना नहीं चाहते है। हस्तगत प्रकरण का मूल वाद भी आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज हो चुका है जिससे भी इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सम्मन प्रोसेस पेश करने के कई अवसर दिए जाने के बावजूद पेश नहीं किए जाने से आदेश 9 नियम 5 के तहत इसी स्तर पर तामील के अभाव में खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (सोनिका कुमारी) IAS उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर	